बीएसएनएल ,म्पलॉईज यूनियन (बीएसएनएलईयू)
राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ (एनएफटीई–बीएसएनएल)

दिनांकः 30.07.2024

सेवा में,

श्री रवि ए रॉबर्ट जेरार्ड,
सीएमडी बीएसएनएल,
भारत संचार भवन,
एच.सी. माथुर लेन, जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

विषयः – *नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन संशोधन के निपटान में अत्यधिक देरी – बाधा को दूर करने के लिए आपके हस्तक्षेप का अनुरोध के संबंध में।*

महोदय,

बीएसएनएलईयू और एनएफटीई बीएसएनए ल, बीएसएनएल के नॉन–एगजीक्यूटिवों की दो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें, एक बार फिर आपको सीएमडी बीएसएनएल के रूप में कार्यभार संभालने पर अपनी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हैं। दोनों मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें बीएसएनएल के शीघ्र वित्तीय पुनरुद्धार को प्राप्त करने के लिए आपके सभी प्रयासों के लिए अपने पूरे दिल से समर्थन और सहयोग को दोहराती हैं।

हम यह पत्र नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन संशोधन के निपटारे में उत्पन्न बाधा को दूर करने के लिए आपके हस्तक्षेप की तत्काल मांग करने के लिए लिख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हजारों नॉन–एगजीक्यूटिवों को 'ठहराव' की समस्या के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है और वे वर्षों से अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं ले पा रहे हैं। यह वेतन संशोधन के निपटारे के न होने के कारण है। इस संबंध में, हम आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

बीएसएनएल बोर्ड ने पहले ही 15% फिटमेंट के साथ एग्जीक्यूटिवों के वेतन संशोधन की सिफारिश की है। यह फाइल वर्तमान में दूरसंचार विभाग के पास लंबित है। तत्कालीन माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी के निर्देशानुसार दूरसंचार विभाग ने पत्र संख्या एफ–62–2/2016–एसयू दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सीएमडी बीएसएनएल को नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन समझौते को पूरा करने और इसे दूरसंचार विभाग के अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त पत्र की प्रति अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

दूरसंचार विभाग के इस निर्देश के आधार पर, बीएसएनएल प्रबंधन ने संयुक्त वेतन वार्ता समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन महाप्रबंधक (कानूनी) श्री एच.सी. पंत थे। गहन विचार–विमर्श के बाद, संयुक्त वेतन वार्ता समिति ने 27–07–2018 को आयोजित अपनी बैठक में नॉन–एगजीक्यूटिवों के नए वेतनमानों को अंतिम रूप दिया। 27.07.2018 को अंतिम रूप दिए गए वेतनमानों का विवरण अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

इस बीच, संयुक्त वेतन वार्ता समिति के अध्यक्ष श्री एच.सी. पंत सेवाकाल समाप्त होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। साथ ही, संयुक्त वेतन वार्ता समिति के प्रबंधन पक्ष के कुछ सदस्य वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त हुए। इन परिस्थितियों में, संयुक्त वेतन वार्ता समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री आर.के. गोयल थे। दुर्भाग्य से, पुनर्गठित संयुक्त वेतन वार्ता समिति की बैठक में, प्रबंधन पक्ष वेतनमान पर पहले से ही किए गए समझौते से मुकर गया। उन्होंने कम न्यूनतम और अधिकतम के साथ कम वेतनमान का एक और नया सेट प्रस्तावित किया। संयुक्त वेतन वार्ता समिति में नए वेतनमान पर किए गए समझौते से मुकरना प्रबंधन की ओर से पूरी तरह से अनैतिक है।

प्रबंधन पक्ष का तर्क है कि यदि नॉन–एगजीक्यूटिवों के लिए पहले से स्वीकृत वेतनमान लागू किए जाते हैं, तो बीएसएनएल को पेंशन अंशदान पर भारी व्यय करना पड़ेगा। यह तर्क अस्वीकार्य है। एग्जीक्यूटिवों के लिए नए वेतनमान पहले से ही तीसरे पीआरसी द्वारा अनुशंसित हैं। ये वेतनमान नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतनमान की तुलना में लंबे समय तक हैं। बीएसएनएल प्रबंधन के पास अधिकारियों के इन वेतनमानों को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। वह तीसरे पीआरसी द्वारा अनुशंसित अधिकारियों के वेतनमानों को लागू करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, बीएसएनएल को एग्जीक्यूटिवों के उन वेतनमानों के आधार पर पेंशन अंशदान का भुगतान करना होगा।

ऐसी स्थिति में, नॉन–एगजीक्यूटिवों को कम वेतनमान लागू करने का प्रबंधन का प्रयास पूरी तरह से अनुचित है। नॉन–एगजीक्यूटिवों को ऐसे कम वेतनमान लागू करने से ठहराव की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा, नॉन–एगजीक्यूटिवों के भविष्य के वेतन संशोधनों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में, हम आपके ध्यान में नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन संशोधन के मामले पर आयोजित दो महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी लाना चाहते हैं।

पहली बैठक 02–12–2018 को बीएसएनएल (एयूएबी) के सभी यूनियनों और संघों और सुश्री अरुणा सुंदरराजन, पूर्व सचिव, दूरसंचार के बीच आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सुश्री अरुणा सुंदरराजन, सचिव (दूरसंचार) ने की और इसमें एयूएबी के प्रतिनिधियों, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सीएमडी बीएसएनएल ने भाग लिया। उस बैठक में, बीएसएनएल के नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन संशोधन की समीक्षा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद, सचिव, दूरसंचार ने सीएमडी बीएसएनएल को नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन वार्ता को शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश दिया। निदेशक (पीएसयू–प) द्वारा 02.12.2018 को जारी की गई इस बैठक की कार्यवाही अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न है।

दूसरी बैठक 03–12–2018 को एयूएबी और माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी के बीच हुई। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी ने की। एयूएबी के प्रतिनिधि, सचिव (दूरसंचार), अतिरिक्त सचिव, (दूरसंचार), सदस्य (वित्त), सदस्य (सेवाएं), सदस्य (प्रौद्योगिकी), सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक (एचआर), बीएसएनएल उपस्थित थे। उस बैठक में, सीएमडी बीएसएनएल ने बताया कि, बीएसएनएल प्रबंधन और यूनियनों के बीच बातचीत अंतिम चरण में थी। माननीय संचार राज्य मंत्री ने सभी संबंधितों को निर्देश दिया कि, कर्मचारियों की इस मांग को शीघ्र निर्णय के लिए उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पत्र संख्या बीएसएनएल/7–1/2018 दिनांक 4 दिसंबर, 2018 के अनुसार जारी इस बैठक का विवरण अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक 3 और 4 से यह देखा जा सकता है कि, संचार मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर आयोजित बैठकों में बीएसएनएल के नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन संशोधन के मुद्दे की समीक्षा की गई है। इस मुद्दे पर माननीय संचार राज्य मंत्री और सचिव दूरसंचार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे निर्देशों के बावजूद, नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन समझौते को अनावश्यक रूप से आगे खींचा जा रहा है।

हम मांग करते हैं कि नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन समझौते के संबंध में माननीय संचार राज्य मंत्री और सचिव, दूरसंचार द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि 27–07–2018 को आयोजित संयुक्त वेतन वार्ता समिति की बैठक में नॉन–एगजीक्यूटिवों के जिस नए वेतनमान को अंतिम रूप दिया गया है, उसे बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा लागू किया जाना चाहिए और उसके आधार पर, नॉन–एगजीक्यूटिवों के वेतन समझौते को बिना किसी देरी के अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

अंत में, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि, बीएसएनएल के गठन के बाद से बीएसएनएल कर्मचारियों के भत्ते में संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार, बीएसएनएल कर्मचारी पिछले लगभग 25 वर्षों से बिना संशोधित भत्ते ले रहे हैं। यह कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मुद्दे पर भी ध्यान दें और कर्मचारियों को न्याय प्रदान करें।

बीएसएनएलईयू और एनएफटीई बीएसएनएल दोनों आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया इस मुद्दे पर अपना व्यक्तिगत ध्यान दें और इसे जल्द से जल्द सुलझाएं।

सधन्यवाद,

आपके सादर

(पी. अभिमन्यु)
महासचिव बीएसएनएलईयू

चंदेश्वर सिंह
महासचिव एनएफटीई बीएसएनएल

संलग्नः (1) दूरसंचार विभाग, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के पत्र संख्या एफ.62–2/2016–एसयू के अनुसार
(2) 27.07.2018 को आयोजित वेतन वार्ता समिति की बैठक में वेतनमान को अंतिम रूप दिया गया
(3) 02.12.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त
(4) 03.12.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

प्रतिलिपिः डॉ. कल्याण सागर निप्पानी, निदेशक (मानव संसाधन), बीएसएनएल, नई दिल्ली 110 001